

पंजीकृत डाक द्वारा

सं. भा0ति0सी0पु0बल/45वीं वा0/स्था-02/न्यायिक जॉच/का(जीडी) पवन कुमार/2023 - 3221
कार्यालय सेनानी, 45वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
गृह मंत्रालय/भारत सरकार,
इडियापट्टी कैम्प, पो0ओ0 साउथ आमूर, जिला-मदूरै(तमिलनाडू)-625110
E Mail- itcell45thbn@itbp.gov.in

दिनांक:- 20/8/24


“कारण बताओ नोटिस”

आप, दल संख्या 090390904 का0/जीडी पवन कुमार, 'एफ' समवाय, 45वीं वाहिनी भा0ति0सी0पुलिस बल को दिनांक 30.12.2023 से 26.01.2024 तक स्वीकृत किए गए 28 दिन परिणित अवकाश (Commuted Leave) से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। 45वीं वाहिनी के कार्यालय ज्ञापन सं0 76 दिनांक 04.02.2024, 93 दिनांक 17.02.2024 एवम् 109 दिनांक 27.02.2024 के तहत बार-बार आपको अपनी ड्यूटी पर आमद देने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी आप ना तो अपनी ड्यूटी पर आमद हुए और ना ही दिनांक 26.01.2024 के उपरान्त आपके द्वारा कोई सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। 45वीं वाहिनी के पत्र संख्या-127 दिनांक 06.03.2024 के तहत पुलिस अधीक्षक, जिला-राजनंदगाँव (छ0गढ0) को कर्मी को गिरफ्तार कर सामरिक मुख्यालय, 45वीं वाहिनी भा0ति0सी0पु0बल नारायणपुर को सुपुर्द करने का अनुरोध किया गया, जिसकी एक प्रति थाना प्रभारी, थाना-राजनंदगाँव, जिला-राजनंदगाँव (छ0गढ0) को भी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई।

2. उपरोक्तानुसार आपको बार-बार निर्देशित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा अभी तक अपनी आमद 45वीं वाहिनी मुख्यालय/सामरिक मुख्यालय में नहीं दी है और ना ही दिनांक-26.01.2024 के उपरान्त स्वयं की अनुपस्थिति के बारे में किसी माध्यम से इस वाहिनी से सम्पर्क स्थापित किया गया। पुलिस अधीक्षक, जिला-राजनंदगाँव (छ0गढ0) द्वारा भी आपको गिरफ्तार कर 45वीं वाहिनी में सुपुर्द नहीं किया गया है। आपको ड्यूटी पर आमद देने हेतु बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा 45वीं वाहिनी में आमद नहीं देने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे हैं और आप बल में सेवा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

3. आपके दिनांक 26.01.2024(अप्रा0) से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति/अवकाश स्वीकृति के अवकाश से अनुपस्थित रहने के कारणों का पता लगाने हेतु 45वीं वाहिनी के कार्यालय आदेश संख्या 146 दिनांक- 20.03.2024 के तहत न्यायिक जॉच समिति का गठन किया गया था, गठित न्यायिक जॉच समिति की राय/निष्कर्ष एवं तथ्यों के आधार पर भा.ति.सी.पुलिस अधिनियम-1992 की धारा-74(2) एवं स्थाई आदेश संख्या 21/2014 दिनांक 26.06.14 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार आपको इस कार्यालय के आदेश संख्या- 2460-73 दिनांक 12.07.2024 के तहत दिनांक 26.01.2024(अप्रा0) से **“भगौडा” (DESERTER)** घोषित किया जा चुका है, जिसकी प्रति पंजीकृत डाक के माध्यम से आपके घर के पते पर भी भेजी गई है।

4. आपके अनुपस्थित संबंधी प्रकरण पर भा.ति.सी.पु.बल नियमावली-1994 एवं अधिनियम-1992 में निहित प्रावधानानुसार अग्रिम निर्णय लेने से पूर्व आपको पुनः एक और अवसर देते हुए यह **“कारण बताओ नोटिस”** इस आशय से जारी किया जा रहा है कि आप इस **“कारण बताओ नोटिस”** के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी ड्यूटी पर 45वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल, मुख्यालय, मदूरै (तमिलनाडू) या सामरिक मुख्यालय, जिला नारायणपुर में रिपोर्ट करें अथवा अपने बचाव पक्ष में तथ्य/उचित दस्तावेज इस कार्यालय को प्रस्तुत करें अन्यथा एक तरफा निर्णय लेते हुए आपको **“सेवा से बर्खास्त”** कर दिया जायेगा।


(शैलेश कुमार जोशी)
सेनानी
45वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल

To,

Regt No. 090390904 CT/GD Pawan Kumar
S/o Sh. Baleswar Prasad, Vill- Usari Board
P.O- Surgi, P.S- Rajnadgaon.
Teh+Distt- Rajnadgaon (Chhattisgarh) Pin - 491441.

CBC 19112/11/0119/2425